

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक: एफ/प्रशा/प्रवेश /2024/ 8829

दिनांक.....05/09/24

// कार्यालयीन आदेश //

वर्तमान में नियमित पाठ्यक्रम (Regular Courses) की टी.सी एवं कॉशनमनी जारी करने का कार्य प्रशासन विभाग की प्रवेश शाखा द्वारा किया जा रहा है।


पूर्व में विद्यार्थियों की प्रवेश शुल्क आदि की रसीदें प्रशासन विभाग की प्रदेश शाखा में संबंधित अध्ययनशालाओं द्वारा जमा कराई जाती थी, जिसके आधार पर विद्यार्थी को कॉशनमनी प्रवेश शाखा (प्रशासन विभाग) द्वारा जारी की जाती है।

चूंकि विद्यार्थियों की प्रवेश शुल्क आदि Online जमा कराई है, इस कारण संबंधित अध्ययनशालाओं द्वारा प्रवेश शुल्क आदि का रिकॉर्ड प्रवेश शाखा प्रशासन विभाग में जमा नहीं कराया जाता है एवं वर्तमान में प्रवेश आदि शुल्क का संधारण संबंधित अध्ययनशाला द्वारा किया जा रहा है।

अतः संबंधित विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक एवं छात्रावास वार्डन को निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में संचालित नियमित पाठ्यक्रम (Regular Courses) एवं स्वावित्तीय पाठ्यक्रम (Self Finance Courses) के विद्यार्थियों की टी.सी. एवं कॉशनमनी का कार्य संबंधित अध्ययनशाला द्वारा संचालित किया जावेगा।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रतिलिपि:—

1. समस्त विभागाधिकारी/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/वार्डन एवं समस्त अध्ययनशालाएँ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कुलगुरु जी के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. सहा0/उप-कुलसचिव (प्रशा0), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. सहायक कुलसचिव (अकादमी), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहा0-कुलसचिव (प्रशासन)